न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण R 634-II-17

हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री गजराज सिंह कुशवाह कृषक, निवासी– ग्राम सिकंदरपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी, हाल निवासी– जी0एच0 977 दीनदयाल नगर, ग्वालियर, म0प्र0 ——आवेदक

द्वारा आज दि 13.2.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

यशवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री गजराज सिंह, निवासी– नरवर, तहसील नरवर जिला शिवपुरी म0प्र0 ——अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही दिनांक 21/12/2016 पारित द्वारा तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 08/2016–17 अ 70 व उनवान हरिसिंह बनाम यशवंतसिंह आदि।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे कमांक 298 मिन 01 रकवा 4.68 हैक्टर में से लगभग 1.40 हैक्टर भूमि एवं सर्वे कमांक 301/01 रकवा 7.38 हैक्टर में से रकवा 30 हैक्टर पर अनावेदक का अवैध कब्जा वाद सीमांकन ज्ञात होने पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय नरवर जिला शिवपुरी के न्यायालय में भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 634–दो / 2017 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–10–18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में तहसीलदार तहसील नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 8 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.12.16 के विरूद्व निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। 3–दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार तहसीलदार तहसील नरवर जिला शिवपुरी द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 21.12.16 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 28.12.18 को कलेक्टर दतिया के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य कलेक्टर शिवपुरी	